शोध मंथन ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X Impact Factor 6.726 (SJIF)
Vol. X, No.IV, pp (1125-1132) Oct.- Dec. 2019

बाल श्रमिकों का समाजशास्त्रीय विश्लेषणः जनपद मेरठ का अध्ययन

कन्हैया लाल*, डॉ. सुशील कुमार**

**शोधार्थी मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।*

***शोध निदेशक मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।*

Email : satyveer171@gmail.com

सारांश

प्रस्तुतलेख में मेरठ जनपद के 30 बच्चों बाल मजदूरी मे संलग्न का चयन कर उनका अध्ययन किया गया तथा पाया कि चयनित बच्चों की परिवारिक दशाऐं उनके बाल श्रम को बढ़ाने में कारक के रूप में जिम्मेदार है। परिवारिक स्थिति, अशिक्षा, दैनिक कमाई का लालच, जागरूकता की कमी, सामाजिक परिवेश उनके बालश्रम की ओर धकेलता है। जहाँ तक समाज के बुद्धिजीवी का सवाल है उनके लिये यह आम समस्या लगता है। सरकारी योजनाओं की प्रभावकारिता शून्य स्तर तक है। सरकारी योजनाओं का इन तक लाभ नहीं पहुंचता तथा ये अधिक जागरूक नहीं हो पाती इनकी संस्कृति भी अपनी गरीबी को बनाये रखना चाहती है तथा इनकी दैनिक क्रियाएँ इनके चहुमुखी विकास के रास्ते में बाधाएँ बनकर खड़ी होती है। प्रस्तुत लेख में इनके बाल श्रम करने की दशाओं पर प्रकाश डालकर उनको उपाय खोजने की प्रयास किया जायेगा।

मुख्य शब्दः *बाल श्रमिक , अशिक्षा, समाज, जागरूकता परिवार आदि।*

प्रस्तावना

आज विश्व के करोड़ो बच्चे उचित देखभाल के अभाव में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीने के अधिकार से वंचित कर दिये जाते है। इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवम्बर 1989 को एक प्रस्ताव पारित कर बच्चों के अधिकार की घोषणा कर दी। वर्ष 1993 तक 150 राष्ट्रों ने बाल अधिकार से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र की घोषणा से अपनी सहमति जता दी थी। उस घोषणा में 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे व्यक्ति को बच्चा माना गया है, जो बच्चे पर लागू होने वाले कानून के तहत निर्धारित उम्र से पहले वयस्कता प्राप्त नही कर लें। 12 नवम्बर, 1992 को भारत ने भी इस समझौते पर अपनी सहमति दे दी, किन्तु भारत की जनगणना में 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा माना गया है और भारतीय संविधान के अनुसार भी बच्चे की परिभाषा में 14 से कम उम्र के व्यक्ति शामिल है। ऐसे बच्चों की संख्या भारत में 35 करोड़ से अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र संघ यह मानते हुए कि बच्चे के पूर्ण विकास के लिए उसे परिवार के बीच खुशी, प्रेम और आपसी समझबूझ के वातावरण में बढ़ना चाहिए। बच्चे को समाज में अपने

विशिष्ट व्यक्ति के साथ जीने को तैयार किया जाना चाहिए और उसका लालन पालन संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के आदर्शो की भावना खासतौर से शांति, गरिमा, सहिष्णुता, स्वाधीनता, समता और परस्पर एकता की भावना के अनुरूप होना चाहिए।

बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में जेनेवा घोषणा पत्र और फिर 20 नवम्बर 1959 को महासभा द्वारा पारित बाल अधिकारों की घोषणा की गयी। इसे मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा तथा बच्चों के कल्याण से जुडी विशिष्ट एजेन्सियाँ और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से सम्बद्ध विधानों और प्रपत्रों में मान्यता दी गयी।

बाल अधिकार घोशणा के अनुसार "शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण बच्चे को सुरक्षा के विशेष उपायों और देखभाल की आवश्यकता है। इसमें जन्म से पूर्व तथा बाद में भी समुचित कानूनी संरक्षण शामिल हैं।" संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवम्बर 1989 को पारित बच्चों के अधिकार सम्बन्धी समझौते मूलतः चार प्रकार के है– (1) जीने का अधिकार (2) विकास का अधिकार, (3) सुरक्षा का अधिकार, (4) सहभागिता का अधिकार।

जीने के अधिकार के तहत जीने का स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति का समुचित पोषाहार का, मानवांछित जीवन – स्तर उपभोग करने का, एक नाम और एक राष्ट्रीयता धारण करने का अधिकार सम्मिलित है। घोषणा के अनुच्छेद 6 के अनुसार हर बच्चे को जीने का जन्मजात अधिकार है। इसका मतलब यह कि हर बच्चा अपनी आकस्मिक मृत्यु तथा अपने प्रति अप्राकृतिक एवं विकृत व्यवहार से सुरक्षित रहे एवं स्वस्थ जीवनयापन कर सके।

विकास के अधिकार का तात्पर्य है– समुचित शिक्षा, बचपन के दौरान समुचित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया है– इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर ही सारे बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के लिये सरकार ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध करायेगी और इसके लिये हर संभव प्रयास करेगी।

सुरक्षा के अधिकार के संदर्भ में समझौते के अनुच्छेद 19 के अनुसार "समझौते में शामिल सभी देशों में ऐसे सभी उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगें, जिनसे माता–पिता, कानून अभिभावक और अन्य किसी व्यक्ति की देख–देख में पल रहे बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक चोट अथवा अपमान, उपेक्षा अथवा उपेक्षाजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार, शोषण से सुरक्षा प्रदान की जा सके।"

सहभागिता के अधिकार का उल्लेख समझौते के अनुच्छेद 12 अनुसार – बच्चों का हर मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। सहभागिता के अधिकार में बच्चों के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी, विवेक और धर्म को जानना है।

वे चाहे विवाहित हो या न हों, परिवार अक्सर सुरक्षा चिंताओं या परम्परा के कारण उनकी गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है।

बाल श्रम

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0पी0एल0) के अनुसार, "अपने शारीरिक व मानसिक विकास को क्षति पहुँचाकर 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नियमित काम करना बाल मजदूरी कहलाता है।"

एक बच्चा घर पर अथवा बाहर अपने अभिभावक के साथ उनके कार्यो में हाथ बटाता है और काम सीखता हैं कई बार अभिभावकों की इच्छा से कहीं अन्यत्र काम करता है, ऐसा करते समय उसकी पढ़ाई, मनोंरजन आदि में कोई बाधा नहीं आती, दूसरी ओर, बच्चे परिवारिक धनोपार्जन हेतु प्रायः ऐसी स्थितियों में काम करते हैं, जो उनके शारीरिक, मानसिक विकास स्वास्थ्य और कल्याण में बाधक बनती है, वे स्कूल नही जाते या बीच में ही विवशता के कारण उन्हें रोजगार में लग जाना पड़ता है तथा वयस्क होने पर वे एक नागरिक के रूप में सामाजिक विकास में अपना समुचित योगदान नहीं दे पाते, इस प्रकार के श्रम का उद्देश्य परिवार की तात्कालिक आय बढ़ाना होता है इसीलिए इन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। ऐसे श्रमिक बागान, पत्थर खादानों, खनन, बीड़ी उद्योग, काँच हीरा उद्योग, पीतल उद्योग, चूड़ी हथकरघा एवं कालीन, सीमेंट उद्योग, वेल्डिंग, ताले बनाने, पेट्रोल पम्प, जूट उद्योग, कैंटीन, ढाबा, होटलों, घरेलू नौकर हस्त शिल्प और हथकरघा उद्योग आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं।

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल श्रमिक समान्यताः श्रमिक बल के सबसे अधिक शोषित वर्ग से है भारतीय बाल कल्याण परिषद के अनुसार 7 से 14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों को 10–18 घण्टे तक कारखानों, दुकानों व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान में काम करने के बाद बहुत कम मजूदरी मिलती है। इससे बच्चों के शोषण के विरूद्ध अधिकार का उल्लंघन होता हैं सामाजिक सद्भाव प्रतिष्ठान के अनुसार, लाखों बच्चों को रात में सोने के लिए झोपडी भी नसीब नहीं होती, ऐसे बच्चे रेलवे स्टेशनों, बस स्टापों, पार्को आदि में रात गुजारते हैं।

साहित्य की समीक्षा

नीरा बुर्रा, राईट्स वर्सस नीड्स : इज इट इन दी वेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी चाइल्ड 2003–यह लेख वैश्विक स्तर पर बाल श्रम और बाल अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित है। बाल श्रम और गरीबी से सम्बन्धित कारण एवं परिणामों को बताने के साथ–साथ विकास और कूटनीति की चर्चा भी की गई है। इसमें फिलीपीस, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत जेसे देषों में जहा बड़े पैमाने पर बालश्रम देखा जाता है उसका भी अध्ययन किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों का वर्णन है जहाँ पर ऊँटो की दौड़ में बालको का इस्तेमाल करके बाल अधिकारो के हनन मिर्जापुर, भदोही में बड़े पैमाने पर बंधुआ मजदूरी के द्वारा बालको के अधिकारों के हनन का भी अध्ययन किया गया है।

एन्ड्रिव ओकेम, ए कम्परेटिव एनालाइसिस आफ चाइल्ड सोशल प्रोटेक्शन इन

ब्राजील, नाईजीरिया, एण्ड साउथ अफ्रीका –

यह अध्ययन ब्राजील, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में बालको की सामाजिक सुरक्षा और बाल अधिकार से सम्बन्धित है। इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य समानता और मतभेदों के पैटर्न स्थापित करने और तुलनात्मक विश्लेषण से सबक लेने के लिए ब्राजील, नाइजीरियों तथा दक्षिण अफ्रीका में बाल सामाजिक सुरक्षा की तुलना करना था। इस पेपर को पाँच भागों में बाँटा गया है भाग एक बाल सामाजिक सुरक्षा के आधार के रूप में बाल अधिकारों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है। भाग दो में ब्राजील नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में बाल गरीबी और गतिशीलता की जाँच की गई है। भाग तीन में इन तीनों देशों में बाल सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा की गई है। तथा भाग चार में क्रास कंट्री तुलना के लिए आधार प्रदान किया गया है। और अन्त में भाग पाँच इन सभी की संस्तुति या प्रशंसा करने के साथ सामाप्त होता है। इन देशों में गरीबी का बोझ उन बच्चों पर समान रूप से पड़ता है जिन्हें कुपोषण खराब बचपन के विकास अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और अन्य अपमानजनक सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

रश्मि शर्मा एण्ड शालिनी सक्सेना, 2017 इनसिंग टूवर्डस इनक्लूशिव एजूकेशन ऑफ चिल्ड्रन वीद स्पेशल नीड्स इन इण्डिया

इस लेख में भारत में जो जरूरत मंद बच्चे है या जिन्हें विशेष जरूरत है ऐसे बच्चों की समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में यह बताया गया है कि विकलाग छात्रों के लिए जो मूल्य या उद्देश्य निर्धारित है आज उनकी पुनः जॉच की आवश्यकता है। क्योंकि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए जो चिकित्सकीय सहायता और संसाधानों का प्रावधान किया गया है उसमें आज तेजी से गिरावट आ रही है। साथ ही समावेशी कक्षाओं के लिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण और मान्यताओं के साथ–साथ पाठ्यचर्या में सुधारात्मक विकास की भी आवश्यकता है। इस पेपर में लेखक द्वारा पिछले आधे दशकों में विकलांग छात्रों से सम्बन्धित भारत में सरकारी शैक्षिक नीतियों और कानून के मूल्यांकन का पता लगाया गया है।

डब्लू0एस0के0 फिलिप्स (1994), स्ट्रीट चिल्ड्रन इन इण्डियन

इस पुस्तक में भारत में सड़क किनारे रह रहे उन करोड़ों बच्चों से सम्बन्धित ज्ञान समस्याएं और नीतियों के विषय में बताया गया है। जो बच्चे अपने अस्तित्व के लिए प्रत्येक समय संघर्ष करते रहते हैं उनका और उनके स्वास्थ्य की प्रस्थिति का विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। अर्थात ऐसे बच्चों का एक वैयक्तिक अध्ययन किया गया है। साथ ही इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक कानूनों और बच्चों के कल्याणकारी नीतियों का वर्णन किया गयाहै। तथा पुस्तक ग्यारहवें अध्याय में बालकों से सम्बन्धित मानव अधिकारों की भी चर्चा की गई है क्योंकि विभिन्न प्रकार के मानवाधिकार बच्चों के लिए भी उपयोगी होती है।

एस0के0 खन्ना 1991, चिल्ड्रन एण्ड दी हूमन राईटस

यह पुस्तक बालक और उनके मानाधिकार पर आधारित है। इसमें 10 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय बालकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित हैं। सबसे पहले यह बताने

का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से समाज में बच्चों की विभिन्न प्रकार से उपेक्षा की जाती है। लेखक ने इसके अतिरिक्त बालश्रम, बाल दुर्व्यवहार, बाल संघर्ष का भी वर्णन किया है। बच्चे समाज में सुरक्षित रहें, इसके लिए उनके उनके कानून बनाये गये है। तथा बच्चों की सुरक्षा और कल्याण से सम्बन्धित सामाजिक और कानूनी सिद्धान्तों की घोषणा भी की गई है।

डा0 ए0 करूप्पिया एम0 जॉन सुन्दर (2009), चिल्ड्रन्स राईट : इनवेस्टिग इन फ्यूचर

यह लेख में बालको के अधिकार और उनके भविष्य के विषय में अध्ययन किया गया है। अध्ययन में बालकों के अधिकारो को चार भागों में बांटा गया है – (1) निर्वाह का अधिकार (2) विकास का अधिकार (3) सुरक्षा का अधिकार (4) भागीदारी का अधिकार। इसमें यह भी बताया गया कि 1937 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए यूनिसेफ द्वारा तैयार किये गये कागजात में बालश्रम के समाधान पर चर्चा की गई।

श्याम सुन्दी श्रीमाली (2008), चाईल्ड डेवलपमेन्ट

यह पुस्तक उन कारकों से सम्बन्धित है जो भ्रूण चरण में बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। इस पुस्तक में भावनात्मक और नैतिक विकास पर अलग–अलग अध्याय है। दोनो के अति उत्साही और गुप्त सम्बन्धों को इसमें उजागर किया गया है। अध्याय आठ भाषा के विकास से सम्बन्धित है लेखक ने इसे और कुछ अन्य अध्यायों को लिखते समय अपने स्वयं के कई अवलोकन परिणामों को शामिल किया हैं अध्याय बरह सामाजिक लक्षणों के विकास से सम्बन्धित है। अध्याय सोलह एक बच्चे में कुछ सामान्य और असामान्यताओं से सम्बन्धित है, जिन्हें माता–पिता और शिक्षकों का सामना करना पड़ता हैं और इसके उपचार भी सुझाये गये है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में बच्चों के तार्किक विकास भावनात्मक विकास, नैतिक विकास आदि के विषय में भी बताया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत लेख के माध्यम से बाल अधिकारों की दशाओं का अध्ययन किया गया है।

1. बाल श्रमिको के अधिकारो उल्लंघन के कारणों का विश्लेषण करना।
2. बाल श्रमिकों के बाल अधिकार संरक्षण हेतु किये गये प्रयासों का विश्लेषण करना।
3. बाल श्रमिक बनने के परिवार, विद्यालय एवं समाज की भूमिका का विश्लेषण करना।
4. बाल श्रमिक बनने में बाल बाहुल्यता, गरीबी एवं अशिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करना।

अध्ययन विधि एवं प्रविधि

प्रस्तुत शोध लेख में 30 बच्चे जो बाल श्रम मे सलग्न है जिनका चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन से किया गया है। इसका कारण बच्चों की संख्या की अधिकता के साथ–साथ समय, श्रम एवं धन की सीमाएँ है। अध्ययन की इकाई के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के 30 बाल श्रमिक जो काष्ठ उद्योग, होटल, दुकानो एवं घरेलू नौकर के रूप में कार्य करते हैं को चुना गया है।

अध्ययन क्षेत्र

शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए अध्ययन क्षेत्र का चयन एक आवश्यक चरण है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र को मेरठ के पूर्वी क्षेत्र तेजगढ़ी एवं मंगलपाण्डे नगर के बाल श्रमिकों के लेख के अन्तर्गत लिया गया। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तुलनात्मक रूप से एक लघु औद्योगिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र है।

अध्ययन विधि

इस अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन व साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया। इस अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनो स्त्रोत का उपयोग किया गया। प्राथमिक तथ्य साक्षात्कार अनुसूची और व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से एकत्रित किया गया तथा द्वितीयक तथ्य पुस्तकों, पत्रिकाओं शोध पत्रों, ई–पुस्तकालयों, समाचार पत्रों और जनगणना सर्वेक्षण रिपोर्टों जैसे स्रोत से उपलब्ध किया गया है। शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

1. जो बच्चे बालश्रम में संलग्न पाये गये है उनकी पारिवारिक स्थिति अत्यन्त खराब पायी गयी बच्चों से वार्तालाप के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जाने के बजाय अपने परिवार को सुदृढ़ करने के लिए बालश्रम के लिए बाध्य है।
2. शिक्षा के क्षेत्र में उचित जानकारी एवं मार्गदर्शन का अभाव भी हमारे शोध अध्ययन के दौरान एक मुख्य कारण के रूप में उभरकार सामने आया है।
3. सरकारी योजनाओं का उचित रूप से लागू होने में कमी भी एक बालश्रम को बढ़ाने में प्रभवी कारक के रूप में दिखायी दिया है।
4. सामाजिक रवैया बालश्रम को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दिखायी देता है। आज हर कोई आदमी बालकों के द्वारा सस्ता श्रम पाकर अपना कार्य निकलवाना चाहता है जो समाज में बालश्रम को बढ़ाने वाली सोच उजागर करता है।
5. राजनैतिक प्रयासों की कमी बाल श्रम को बढ़ाने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। राजनैतिक जागरूकता बाल श्रम पर नियन्त्रण पाने के लिए आवश्यक है।
6. बाल श्रमिकों को कार्यक्षेत्र में आधुनिक कार्य लिया जाता है तथा कम वेतन दिया जाता है। जो बाल श्रमिकों के शोषण का प्रतीक है।
7. राज्य को चाहिए कि बनाये गये नियमों का सख्ती से लागू करने के प्रावधान को शामिल कर उन्हें सतही स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना सुनिश्चित करें।
8. बाल श्रमिकों के अधिकारों एवं संरक्षण सभी कागजी स्तर पर अधिक प्रभावी होते है सतही स्तर पर पहुंचते–पहुंचते उनके प्रभाव शून्य हो जाते है।

अतएव अययन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू बालश्रम के जिम्मेदार कारक के रूप में सामने आये है। जिनमें बच्चों का सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का पिछड़ापन जिसे उन्होंने सांस्कृतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसमें साथ–साथ समाज में जागरूकता की कमी

महत्वपूर्ण कारक के रूप में जिम्मेदार है। सरकारी योजनाओं का सही रूप से प्रभावी न होना इसका महत्वपूर्ण कारक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 *मिनिस्ट्री आफ वूमेंन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेन्ट* (2007).**6**

2 एचटीटीपीः / / डब्लू डब्लू डब्लू चाइल्डलाइन इण्डिया ओ आर जी इन / स्ट्रीट – चिल्ड्रन इण्डियन एच टी एम

3 *इण्टरनेशनल इंस्टीट्यूट फार पॉपुलेशन साइन्सेज* (2007), **250**

4 चोपडा, रितिका (2012); *"स्कूल्स टेक कारपोरल रूट टू डिसिपलिन स्टूडेन्ट्स",* (इण्डियन टुडे, 5 जनवरी 2012)

5 *मिनिस्ट्री आफ वुमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंन्ट* (2007), **105**

6 *इण्टरनेशनल इंस्टीट्यूट फार पापुलेशन साइन्सेज* (2007), **471**

7 बुर्रा, नारा (2003); *राईट्स वर्सस नीड्स : इज इट इन दि बेस्अ इन्टरेस्ट आफ दि चाइल्ड?"* (चाल्ड लेबर एण्ड दि राइट्स टू एजुकेशन इन साउथ एशिया– नीड्स वर्सस राइट्स–नैला कबीर, गीथा बी. नामबिसन, रम्या सुब्रमनियन) सेज पब्लिकेशन्स–न्यू डेल्ही, पी पी. **73 – 95**

8 मीवा, को (2003); "गवर्नमेण्ट– एन जी ओ पार्टनशिप चिल्ड्रेंस राइट अू एजूकेशन इन बांग्लादेश", (चाइल्ड लेबर एण्ड दि राइट्स टू एजुकेशन इन साउथ एशिया–नीड्स वर्सस राइट्स – नैला कबीर, गीथा बी. रम्या सुब्रमनियन सेज पब्लिकेशनस – न्यू डेल्ही, पी पी. 243 – 264)

9 ओकोम, इमैनुअल, ए. (2017); "ए कम्परेटिव एनालाइसिस आफ चाइल्ड सोशल प्रोटेक्शन इन ब्राजील, नाइजीरिया एण्ड साउथ अफ्रीका", (लोयला जर्नल आफ सोशल साइंसेज) वल्यू. **xxxi,** जुलाई– दिसम्बर, 2017, पी पी. **189**–2017

10 शर्मा, रश्मी सक्सेना, शालिनी (2017); *"इनसिंग टुवर्ड्स इन्वलूशिव एजूकेशन आफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स इन इण्डिया"*, (कण्ट्रीव्यूशन टू इण्डियन साशल साइसेज) वल्यूम. 36, नवम्बर – 2 एण्ड 3 अप्रैल–सितम्बर 2017 पेज, **216–227**

11 फिलिप्स, डब्ल्यू, एस. के. (1994); *"स्ट्रीट चिल्ड्रेन इन इण्डिया",* रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, नयू डेल्ही

12 खन्ना, एस. के. (1998); *"चिल्ड्रेन एण्ड दि हयूमन राइट्स"*, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, न्यू डेल्ही

13 करूप्पिया, डा0 ए., एण्ड सुन्दर एम0 जॉन (2008); *"चिल्ड्रेन राईट्सः इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर"* (हयूमन राइट्स चैलेन्जेस आफ ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी – वी. एन. विश्वनाथन) कल्पज पब्लिकेशन्स डेल्ही, पेज – **127 – 140**

14 श्रीमाली, एस. सुन्दर (2008); *"चाइल्ड डेवलपमेन्ट"*, प्रेम रावत फार रावत पब्लिकेशन्स, सत्यम एपीटीएस, सेक्टर 3, जवाहर नगर, जयपुर।

15 राही, चन्द्रभान और शर्मा, सियाराम (2012); *"बालक एवं बालकों के अधिकार",* (विधि) संरक्षरण, महत्व एवं व्यावहारिक ज्ञान), दिनमान प्रकाशन, 3014 चर्खेवालान, दिल्ली।

16 मोहसिन, नदीम (1994); *"चाइल्ड राइट्स एण्ड"*, ए. एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना।

17 कंठ आमोद एवं शर्मा, आर.एम. (1993); *"नेगलेक्टेड चाइल्ड"*, 'प्रयास' नई दिल्ली।

18 आहुजा, राम (2000); *"सामाजिक समस्याये",* रावत पब्लिकेशन्स, जायपुर।

19 दुबे, नीरज और दुबे, तृप्ति (2006); *"बाल श्रमिकों में अशिक्षा की समस्या",* कुरूक्षेत्र।

20 शर्मा, सुभाष (1999); *"भारत में बाल मजदूर"*, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।